तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :-49/2011** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपने जवाब एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम चन्द्रपुरा के खसरा नम्बर 115, 115/381 व 116 कुल रकबा 2.72 हैक्टर एवं गत खसरा नम्बर 35 रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा से बने है। प्रार्थी के खेत के दक्षिण में इनके भाई भानाराम के खेत खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 3.03 हैक्टर स्थित है जो श्योकरण, चिमनाराम, जगदीश, नानग पिता मानाराम जाति जाट के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो गत खसरा नम्बर 35 रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा से बने है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 115, 115/381 व 116 कुल रकबा 2.72 हैक्टर नक्शे के अनुसार रकबा बरारी करने पर 0.21 हैक्टर भूमि कम है एवं मौके पर कब्जे अनुसार 0.08 हैक्टर भूमि कम है। प्रार्थी के दक्षिण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 3.03 हैक्टर का नक्शे में रकबा बरारी करने पर रकबा 0.09 हैक्टर व मौके पर 0.13 हैक्टर भूमि अधिक है। इस प्रकार खसरा नम्बर 137 में 0.09 हैक्टर भूमि नक्शे में दुरूस्ती संभव है। इससे ज्यादा दुरूस्ती संभव नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 115, 115/381 व 116 कुल रकबा 2.72 हैक्टर एवं गत खसरा नम्बर 35 रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 3.03 हैक्टर भी गत खसरा नम्बर 35 रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा से बने है। खसरा नम्बर 116 का रकबा नक्शे में कम है एवं खसरा नम्बर 117 का रकबा 0.09 हैक्टर अधिक है। उक्त दोनों खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 35 से बने है। खसरा नम्बर 35 का रकबा 59 बीघा 10 बिस्वा का नक्शा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उक्त नक्शे में विभाजन की तरमीन नहीं की हुई है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 35 से नये खसरा नम्बर 115 से 137 तक बने है। प्रार्थी द्वारा इन खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। एवं ना ही खसरा नम्बर 35 का तरमीमशुदा नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	